राज्यपाल

राजभवन, राजस्थान (जयपुर)

- राजस्थान के एकीकरण के बाद राजप्रमुख का पद बनाया गया। राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र राजप्रमुख जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह थे जो 30 मार्च, 1949 से 31 अक्टूबर, 1956 तक इस पद पर रहे। 1 नवम्बर, 1956 को राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण पूरा हुआ तथा राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित किया गया।
- संविधान के भाग 6 एवं अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित मंत्रीपरिषद् और राज्य का महाधिवक्ता शामिल होते हैं।

राज्य कार्यपालिका का संगठन

- ☞ राज्यपाल
- ☞ मुख्यमंत्री + मंत्रिपरिषद्
- ☞ महाधिवक्ता

- राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है साथ ही राज्य में केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। इस प्रकार राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है।

राज्यपाल

- ☞ संवैधानिक प्रधान
- ☞ राज्य का प्रथम नागरिक
- ☞ विधिक अध्यक्ष/हैड ऑफ स्टेट
- ☞ केन्द्र का प्रतिनिधि

❖ अनुच्छेद 153 : राज्यों का राज्यपाल :

- प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। **7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956** के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

☞ **नोट :** संविधान के भाग 6 (अनुच्छेद 153 से 167 तक) को राज्यों का संविधान भी कहा जाता है। संघशासित प्रदेशों की शासन व्यवस्था का उल्लेख संविधान के **भाग 8** अनुच्छेद 239 से 242 में किया गया है।

❖ अनुच्छेद 154 : राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना :

- राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा।

❖ अनुच्छेद 155 : राज्यपाल की नियुक्ति :

- राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। इस प्रकार वह केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 1979 में स्पष्ट किया कि राज्य में राज्यपाल का कार्यालय एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है। यह न तो केन्द्र सरकार के अधीनस्थ है, और न ही केन्द्र सरकार के अधीन रोजगार।

❖ अनुच्छेद 156 : राज्यपाल की पदावधि :

1. पद ग्रहण करने से पाँच वर्ष तक लेकिन राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।

   ध्यातव्य है कि यहाँ 'राष्ट्रपति के प्रसाद' का वास्तविक अर्थ प्रधानमंत्री या केन्द्रीय मंत्रीपरिषद् के प्रसाद से है।

2. पद ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष जब तक की उसका उत्तराधिकारी पद धारण न कर ले।
3. राज्यपाल, राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग कर सकेगा।

❖ अनुच्छेद 157 : राज्यपाल पद पर नियुक्त होने की अर्हताएँ :

1. भारत का नागरिक हो
2. 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो
3. स्वस्थ परम्पराऐं

(a) उस राज्य का निवासी न हो, जिस राज्य में उसे राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

(b) राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए।

❐ इन परम्पराओं का कुछ मामलों में उल्लंघन किया गया है -

- ♦ जम्मू कश्मीर – जगमोहन (1984)
- ♦ पं. बंगाल – टी.वी. राजेश्वर राव (1989)
- ♦ पं. बंगाल – H.C. मुखर्जी (1951) (निवासी–पं. बंगाल) – ज्योति बसु
- ♦ जम्मू कश्मीर – डॉ. कर्णसिंह (1965)

❖ अनुच्छेद 158 : राज्यपाल पद की शर्तें :

1. राज्यपाल संसद के किसी सदन अथवा राज्य के विधानमण्डल का सदस्य नहीं हो सकता। यदि वह किसी सदन का सदस्य है, तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की तिथि से उस सदन में उसका स्थान रिक्त समझा जाता है।
2. वह कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता।

- **सरकारिया आयोग (1983) :** राज्यपाल को उस राज्य से बाहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसका गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो।

3. राज्यपाल संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियों, विशेषाधिकारों और भत्तों के लिए अधिकृत होगा।
4. 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 यह उपबंधित करता है कि जहाँ एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, वहाँ उस राज्यपाल को संदेय उपलब्धियाँ और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किये जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें।

5. राज्यपाल की उपलब्धियाँ और भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे।

6. राज्यपाल बिना किराया दिए शासकीय आवासों के उपयोग का हकदार होगा।

7. राज्यपाल का वेतनमान 3.5 लाख रू. प्रतिमाह है।

8. राज्यपाल के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि में से दिये जाते हैं।

❖ अनुच्छेद 159 : राज्यपाल द्वारा शपथ - प्रतिज्ञान :

- राज्यपाल संविधान में वर्णित तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ-प्रतिज्ञान करता है। राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष तथा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष

(a) राज्यपाल पद के कार्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन।

(b) संविधान एवं विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने ।

(c) स्वयं को राज्य की जनता के हित व सेवा में समर्पित करने की शपथ लेता है।

राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य

- **डी.डी. बसु** के अनुसार राज्यपाल की शक्तियाँ, राष्ट्रपति के समान है, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक तथा संकटकालीन शक्तियों को छोड़कर। इनको निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत देखा जा सकता है-

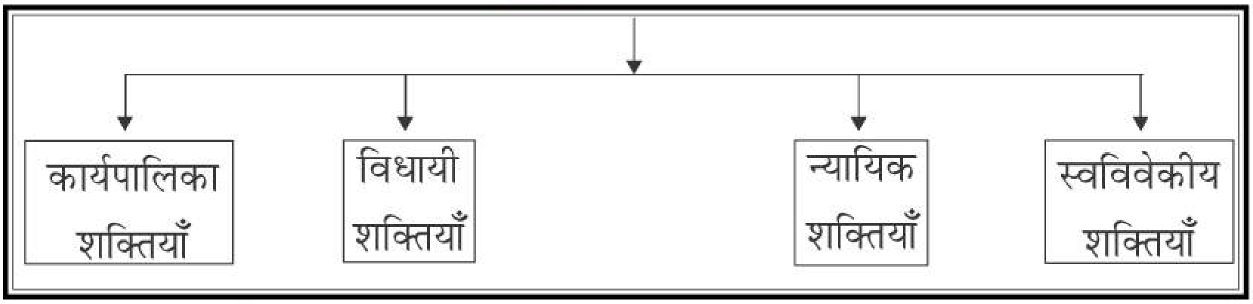

1. कार्यकारी शक्तियाँ :

(i) **अनुच्छेद 164** के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये सभी राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करते हैं।

(ii) **अनुच्छेद 165 :** राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। यह राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है।

(iii) **अनुच्छेद 166 :** राज्य सरकार के सभी कार्यकारी - कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से होते हैं।

(iv) **अनुच्छेद 167 :** अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल, मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन या किसी विधायी प्रस्ताव के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है।

(v) **अनुच्छेद 356 :** अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान उसकी कार्यकारी शक्तियों का विस्तार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में हो जाता है।

(vi) **अनुच्छेद 243 ट (243 (K)) :**

(a) राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति एवं उसकी सेवा शर्तें व कार्यविधि का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है।

(b) राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति और प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस रीति और प्रक्रिया से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।

(vii) अनुच्छेद 243 झ (243 (I)) : संविधान के अनुच्छेद 243 (I) के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है।

(viii) अनुच्छेद 200 : विधानमण्डल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखना। जब विधेयक :-

(a) उच्च न्यायालय की अधिकारिता को प्रभावित करता हो।

(b) संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो।

(c) नीति निदेशक तत्वों से असंगत हो।

(d) विषय राष्ट्रीय महत्व का हो।

(e) अनुच्छेद 31 'क' के तहत सम्पत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो।

(ix) अनुच्छेद 331 : राज्यपाल द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के एक व्यक्ति का विधान सभा में मनोनयन।

☞ **नोट : 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा :**

(a) लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में SC/ST का आरक्षण 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया है। यह अवधि 2020 में समाप्त हो रही थी।

(b) इस अधिनियम द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय को प्रदत्त आरक्षण समाप्त कर दिया गया है।

(c) इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया है।

- **Anglo Indian :** जो भारत में रहता हो या जिसका पूर्वज यूरोपियन हो। यह मुख्यत: ब्रिटिश लोगों के लिए उपभोग में लिया जाता है भारत शासन अधिनियम-1935 में प्रथम बार इस शब्द को परिभाषित किया गया था। इन्हें **'रेल्वे चिल्ड्रन'** भी कहा जाता है।
- The all India Anglo India Associtionका गठन फ्रेंक एंथनी ने किया था।

(x) **अनुच्छेद 316 :** राज्य लोक सेवा आयोग का गठन।

(xi) राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों (केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर) का कुलाधिपति होता है, एवं विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति करता है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है।

- राज्य मुख्य सूचना आयुक्त।
- लोकायुक्त।
- अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति।

2. विधायी शक्तियाँ :

(i) **अनुच्छेद 171 (3) :** विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है।

(ii) **अनुच्छेद 174 :** राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत, सत्रावसान, विघटित कर सकता है।

(iii) **अनुच्छेद 175 :** राज्यपाल विधानमण्डल के सदनों को संदेश भेज सकता है।

(iv) **अनुच्छेद 176 :** प्रत्येक चुनाव के बाद प्रथम सत्र और वर्ष के प्रथम सत्र को संबोधित करता है।

(v) **अनुच्छेद 180 :** विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हो तो राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के किसी भी सदस्य को उसका कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है।

(vi) **अनुच्छेद 184 :** विधान परिषद में सभापति और उपसभापति दोनों का पद रिक्त है तो राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद के किसी सदस्य को उसका कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है।

(vii) राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है जिसे वह विधानमण्डल के सम्मुख रखवाता है।

(viii) राज्य लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है जिसे वह विधानमण्डल के सम्मुख रखवाता है।

(ix) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्यपाल द्वारा विधानमण्डल के समक्ष रखवाया जाता है।

(x) **अनुच्छेद 213 : राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति**

(a) राज्य विधानमण्डल के विश्रांतिकाल में राज्यपाल को अध्यादेश पारित करने की शक्ति प्राप्त है। विधानमण्डल का सत्र प्रारम्भ होने के छः सप्ताह भीतर इसका अनुमोदन होना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होता तो यह स्वतः समाप्त हो जाता है।

(b) राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है।

3. अनुच्छेद 161 : राज्यपाल की न्यायिक शक्ति :

- राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराये गये किसी व्यक्ति के दण्ड को क्षमा, उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दण्डादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त होगी।

- **क्षमा (Pardons) :** दण्ड से पूर्णत् मुक्ति, क्षमादान न केवल दोष सिद्ध व्यक्ति के दण्ड को समाप्त करता है बल्कि उसे उस स्थिति में ला देता है। जैसे कि उसने कोई अपराध ही नहीं किया हो।

- **प्रतिलम्बन (Reprieres) :** मृत्युदण्ड को अस्थायी रूप से निलम्बित किया जाता है, इसका उद्देश्य दोषी व्यक्ति को क्षमादान या दण्डादेश के स्वरूप में परिवर्तन हेतु समय देना है।

- **परिहार (Remission) :** परिहार के तहत दण्ड की प्रकृति में परिवर्तन किये बिना दण्ड की मात्रा को कम किया जाता है। जैसे - 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना।

- **लघुकरण (Commute) :** दण्ड की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए उसे कम किया जाता है। जैसे - दो वर्ष के कठोर कारावास को एक वर्ष के साधारण कारावास में बदलना।

- **विराम (Respite) :** किसी विशेष कारण से दण्ड की मात्रा को कम किया जाता है। जैसे - गर्भवती महिला के मृत्युदण्ड को साधारण कारावास में बदलना।

☞ **नोट :** राज्यपाल मृत्युदण्ड को क्षमा नहीं कर सकता और न ही संघ सूची के विषयों से संबंधित विधि के विरुद्ध किये गये अपराध को या सेना द्वारा दिये गये किसी दण्डादेश को क्षमा कर सकता है।

- **अनुच्छेद 192** के तहत राज्यपाल निर्वाचन आयोग के परामर्श से राज्य विधानमण्डल के सदस्यों की निरर्हता (Disqualification) से संबंधित प्रश्नों का निर्णय करता है।

- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेता है।

- राज्यपाल जिला जजों की नियुक्ति, पदोन्नति उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है।

4. वित्तीय शक्तियाँ :

(i) **अनुच्छेद 202 :** राज्यपाल राज्य बजट को विधानमण्डल के समक्ष रखवाता है।

(ii) धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही विधान सभा में रखा जा सकता है।

(iii) राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही अनुदान की मांगे विधानसभा में रखी जाती है।

(iv) राज्यपाल की स्वीकृति से ही आकस्मिक निधि से धन निकाला जा सकता है।

(v) राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट को सदन में रखवाता है।

(vi) राज्य की संचित निधि राज्यपाल के अधीन रहती है।

- **अनुदान मांग :** राज्य विधानसभा में राज्यपाल अनुदान की मांग करता है, अनुदान की मांग वह रूप है जिसमें समेकित निधि से व्यय के अनुमानों को वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल किया जाता है। अनुदान की मांग पर तीन प्रकार के प्रस्ताव लाये जाते हैं -

(a) नीति कटौती प्रस्ताव – नीति के प्रति।

(b) आर्थिक कटौती प्रस्ताव – अनुदान की असहमति।

(c) सांकेतिक कटौती प्रस्ताव – मांग 1 रु कर दी जाये।

5. स्वविवेकीय शक्तियाँ (Discretonary Power) :

- संविधान के अनुच्छेद 163(I) के अन्तर्गत राज्यपाल को कुछ स्वविवेकीय शक्तियाँ प्रदान की गई है। जिसका प्रयोग वह मंत्रीपरिषद् की परामर्श के बिना करता है।

राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तिया

संविधान में स्पष्टतः उपबंधित स्वविवेकीय शक्ति	अप्रत्यक्ष रूप में निहित स्वविवेकीय शक्ति
• अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। • स्वविवेक से राज्यपाल विधानमण्डल द्वारा पारित किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। • अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राज्य में राष्टपति शासन की सिफारिश कर सकता है। • अनुच्छेद 213 के तहत किसी अध्यादेश को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रख सकता है। • 5वीं 6वीं अनुसूचियो के संदर्भ में शक्तियों का प्रयोग करना।	• विधानसभा चुनावों में किसी दल या चुनाव पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत न मिला हो तो राज्यपाल ही निर्धारित करता है कि मुख्यमंत्री पद के लिए किस व्यक्ति को आमंत्रित किया जाए। • यदि राज्यपाल की राय में विधानसभा में सरकार का बहुमत समाप्त हो गया है तो वह मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देने या बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। यदि वह दोनों में तैयार न हो तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद् को भंग कर सकता है और मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। • यदि कार्यकाल के दौरान अचानक मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए और उसका कोई निश्चित उत्तराधिकारी नहीं हो तो राज्यपाल ही अपने विवेक से यह निर्धारित करता है कि किसे मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए। • राज्यपाल कुछ विशेष परिस्थितियों में यथा किसी महत्वपूर्ण मामले पर शीघ्र विचार करने के लिए मुख्यमंत्री से कह सकता है।

	• राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री सहित किसी भी मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि आरोपों के आधार पर मुकदमा दायर करने की अनुमति दे सकता है। • यदि राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि विधानसभा में मंत्रिपरिषद् का बहुमत नहीं है तो वह मुख्यमंत्री से कह सकता है कि वह विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर बहुमत सि करे। यदि मुख्यमंत्री अधिवेशन बुलाने से इनकार कर दे तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद् को बर्खास्त कर सकता है। • अगर विधानसभा में मंत्रिपरिषद् के विरू अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो किंतु फिर भी वह त्यागपत्र न दे तो राज्यपाल मंत्रीपरिषद् को बर्खास्त कर सकता है। • यदि मंत्रिपरिषद् संविधान के विरू कार्य कर रही हो या न्यायालय ने मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार या किसी गंभीर आरोप में दोषी घोषित किया हो किंतु वह इस्तीफा देने को तैयार न हो तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद् को बर्खास्त कर सकता है। • उल्लेखनीय है कि राज्यपाल द्वारा अपने विवेक शक्ति के अधीन किया गया विनिश्चय अंतिम होगा अत: उसके इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता कि उसे कार्य स्वविवेक से करना चाहिए था नहीं।

❖ राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों की आलोचना :

- राज्यपाल द्वारा अपने संवैधानिक अधिकार का विवेकानुसार प्रयोग गंभीर आलोचना का विषय बन गया है। इस संबंध 1967 में पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी ने राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन से प्रार्थना की कि राज्यपाल की संवैधानिक मामलों में स्वविवेकीय शक्तियों पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श लिया जाए। लेकिन संघ सरकार ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि इस विषय को उच्चतम न्यायालय में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। राज्यपालों के स्वविवेकीय अधिकारों की आलोचना निरंतर की जाती रही है। जिसके पीछे निम्नलिखित आधार है-

1. **विवेकाधिकार शक्तियों का दबाव पूर्ण प्रयोग :** राज्यपाल अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग न तो अपने विवेक से करते हैं और न ही व्यक्तिगत राय से, अपितु वे इन अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री के आदेशानुसार करते हैं जो कि अपने तथा दल के हितों की उन्नति के लिए राज्यपाल पद का दुरुपयोग हैं।

2. **स्वविवेकीय निर्णय निर्माण स्वतंत्र नहीं :** राज्यपालों के निर्णय स्वविवेकीय न होकर दबावपूर्ण होते हैं। जैसे 1967 में पश्चिम बंगाल, 1970 में उत्तर प्रदेश में, राजस्थान (राजस्थान में चौथे आम चुनावों के बाद बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल द्वारा आमंत्रित नहीं किया।)

3. **राज्यपाल का पक्षपातपूर्ण व्यवहार :** आलोचकों के अनुसार जो व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किये जाते हैं वे सत्तारुढ दल के सदस्य होते हैं या उनमें निष्ठा रखने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य होते है। जिनसे निष्पक्ष व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

❖ अनुच्छेद 361 : राज्यपाल की उन्मुक्तियाँ और विशेषाधिकार :

(A) वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्त्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

(B) कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध किसी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही न तो प्रारम्भ और न ही ऐसी कारवाई शुरू की जा सकेगी।

(C) जब वह पद पर हो तो उसके गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई भी न्यायालय आदेश नहीं निकाल सकता।

(D) राज्यपाल का पदग्रहण करने से पूर्व या पश्चात् उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये कार्य के संबंध में सिविल कार्यवाही करने से पहले उसे दो मास पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य है।

राज्यपाल की पद स्थिति

- भारत की संवैधानिक व्यवस्था में संघवाद एवं संसदीय प्रणाली का समायोजन किया गया है। इस विपरीतधर्मी समायोजन ने हमारे संविधान में अनेक स्तरों पर भारी विलक्षणताऐं पैदा कर दी है। राज्यपाल पद भी ऐसी ही विलक्षणता का प्रमुख उदाहरण है। संसदीय प्रणाली के अनुरूप राज्यपाल से संविधान यह अपेक्षा रखता है, कि वह राज्य कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान के रूप में कार्य करें।

  संघात्मक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में राष्ट्र की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह संघ के अभिकर्त्ता के रूप में प्रभावशाली राजनीतिक कार्य करें। राज्यपाल के पद की स्थिति इन्हीं दो ध्रुवों के अनुरूप परिभाषित होती है।

❖ संवैधानिक मुखिया के रूप में :

- संसदीय शासन प्रणाली के अनुरूप जिस प्रकार केन्द्र में राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया है। उसी तरह राज्य में राज्यपाल संवैधानिक प्रधान है। संविधान द्वारा समस्त शक्तियाँ राज्यपाल को सौंपी गयी हैं, तथा राज्य का समस्त प्रशासन का संचालन उसी के नाम से होता है। राज्यपाल यह कार्य मंत्रिपरिषद् की सहायता से करता है। लेकिन संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि राज्यपाल के लिए मंत्रिपरिषद् का परामर्श स्वीकार करना आवश्यक है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। परन्तु राज्यों में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण राज्यपाल को मंत्रिपरिषद् की सम्मति से राज्य का शासन चलाना पड़ता है।

- **एच.वी. कामथ** ने राज्यपाल की तुलना 'उस कठपुतली से की है, जिसे एक तरफ मुख्यमंत्री नियंत्रित करता है और दूसरी तरफ राष्ट्रपति जिसका वास्तविक अर्थ है प्रधानमंत्री'। न्यायिक दृष्टिकोण भी राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति उजागर करता है। 1950 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सुनील कुमार बोस v/s मुख्य सचिव पश्चिम बंगाल सरकार मामले में यह निर्णय दिया कि 'राज्यपाल वर्तमान संविधान के अधीन अपने मंत्रियों की सम्मति के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकता।' ए.के. अय्यर ने इस विचार का समर्थन करते हुए कहा 'राज्यपाल केवल संवैधानिक अध्यक्ष है।' संविधान निर्माताओं ने जिस प्रकार से राज्यपाल पद के संबंध में निर्वाचन सिद्धांत को अस्वीकार करके मनोनयन के सिद्धांत को अपनाया गया है। उससे स्पष्ट हो जाता है कि वे राज्यपाल को संवैधानिक अध्यक्ष ही बनाना चाहते थे। वास्तविक प्रधान नहीं।

❖ राज्यपाल एक प्रभावशाली अधिकारी के रूप में :

- भारतीय संवैधानिक परम्पराओं के अनुसार राज्यपाल एक संवैधानिक प्रधान है लेकिन राज्यपाल पद की सूक्ष्म स्थिति का विवेचन करने से पता चलता है कि राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष होने के साथ-साथ प्रभावशाली अधिकारी है विशेष परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने पर राज्यपाल की भूमिका अत्यन्त प्रभावशाली हो जाती है।

(i) स्वविवेकीय शक्तियों का उपभोक्ता (ii) संघ का अभिकर्ता

संघ का अभिकर्ता

↓ राज्य का संवैधानिक प्रधान

↓ राज्य में संघीय सरकार का अभिकर्ता/प्रतिनिधि

↓ संविधान के अनुच्छेद 160 के अन्तर्गत राष्ट्रपति राज्यपाल को उन आकस्मिक स्थितियों के संबंध में कार्य करने का अधिकार दे सकता है, जिसके संबंध में संविधान मौन है।

1. यदि राज्य का मंत्रिमण्डल संघ के आदेशों के अनुसार कार्य नहीं करता है, तो राज्यपाल आवश्यक निर्देश दे सकता है और चेतावनी दे सकता है। यदि परिस्थितियाँ असामान्य हो, तो राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज सकता है।
2. अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल मंत्रिमण्डल (मुख्यमंत्री) से सरकार की गतिविधियों के बारे में सूचना मांग सकता है।
3. अनुच्छेद 200 का प्रयोग कर राज्यविधानमण्डल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकता है।

- **के.एम. मुंशी** ने संविधान सभा में कहा 'राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का प्रहरी है ओर वह कड़ी है जो राज्य को केन्द्र के साथ जोड़ते हुए भारत की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करती है। सारत: राज्यपाल राज्य में संघीय सरकार का अभिकर्ता या प्रतिनिधि है।'

राज्यपाल के पद से संबंधित समितियाँ

❖ प्रशासनिक सुधार आयोग :

- 5 जनवरी, 1966 श्री मोरार जी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया इस आयोग ने राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए–

1. राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री परामर्श पर जानी चाहिए।
2. राज्यपाल के पद पर उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जिसे सार्वजनिक जीवन तथा प्रशासन का विशेष अनुभव हो।

❖ राजमन्नार समिति :

- 22 सितम्बर, 1969 को डॉ. पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया।

1. मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल की नियुक्ति हो।
2. राज्यपाल पद से सेवानिवृत्त व्यक्ति को पुनः केन्द्र में नहीं लिया जाना चाहिए।
3. राज्यपाल को सिद्ध कदाचार तथा अक्षमता के आधार पर केवल उच्च न्यायालय द्वारा ही पदच्युत किया जाना चाहिए।
4. यदि विधान सभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो राज्यपाल को चाहिए कि मुख्यमंत्री के चयन हेतु विशेष अधिवेशन बुलाये।

❖ भगवान सहाय समिति :

- वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने भगवान सहाय की अध्यक्षता में राज्यपाल के राज्य मंत्रिमण्डल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति गठित की जिसकी सिफारिशे निम्न प्रकार है–

1. यदि राज्यपाल को विधानसभा में मंत्रिपरिषद् के स्पष्ट बहुमत के संदर्भ में संदेह हो तथा मुख्यमंत्री विधानसभा के सत्र को बुलाने में रूचि न ले तो राज्यपाल को चाहिए कि वह मंत्रिमण्डल को बर्खास्त कर दे।
2. यदि मुख्यमंत्री के त्यागपत्र अथवा बर्खास्तगी के पश्चात् नयी सरकार की संभावनाएँ कम हो तो राज्यपाल विधान सभा भंग करके राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करें।

❖ सरकारिया आयोग (1983) :

- केन्द्र सरकार ने उच्चतम् न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में केन्द्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। इसने 1987 अक्टूबर में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

1. राज्यपाल के रूप में नियुक्त व्यक्ति संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए।
2. जिस दल या गठबंधन को विधानसभा में सर्वाधिक बहुमत प्राप्त है उसे ही राज्यपाल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए।
3. चुनाव में पराजित व्यक्तियों की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए तथा भविष्य में राज्यपाल को कोई लाभ का पद भी नहीं देना चाहिए।
4. यदि विधानसभा में राज्यमंत्रिपरिषद् अपना बहुमत खो देती है तो दूसरे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। इसके पश्चात् भी सरकार गठित नहीं होने पर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करनी चाहिए।
5. राज्यपाल पद पर नियुक्त व्यक्ति सक्रिय राजनीतिक नहीं होना चाहिए अथवा उसकी राजनीति में सक्रिय भागीदारी नहीं होनी चाहिए।

❖ एम.एम. पुंछी आयोग :

- अप्रैल 2007 में केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पूंछी की अध्यक्षता में केन्द्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए एक आयोग गठित किया। जिसने राज्यपाल पद से संबंधित निम्न सिफारिशें की–

1. राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति की अनुशंसा पर होनी चाहिए जिसमें उपराष्ट्रपति + संघ के गृहमंत्री + लोकसभा अध्यक्ष + संबंधित राज्य का सी.एम. होना चाहिए।
2. राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया जाना चाहिए तथा उसकी पदच्युति केन्द्र सरकार की इच्छा पर नहीं होनी चाहिए।
3. राज्यपाल को कार्यकाल से पहले हटाने के लिए राष्ट्रपति के समान महाभियोग की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन

राष्ट्रपति | **राज्यपाल**

v/s

द्रोपदी मुर्मू | **हरिभाऊ किशनराव बागड़े**

- **तुलना के आधार-**

1. साधारण विधेयक के संबंध में।
2. अध्यादेश जारी करने के संबंध में।
3. धन विधेयक के संबंध में।
4. क्षमादान के संबंध में।

राज्यपाल और राष्ट्रपति की वीटों शक्तियों की तुलनासाधारण विधेयक के संबंध में

❍ साधारण विधेयक के संबंध में :

राष्ट्रपति	राज्यपाल
प्रत्येक साधारण विधेयक जब संसद के दोनों सदनों, चाहे अलग-अलग या संयुक्त बैठक से पारित होकर आता है तब उसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते है। 1. विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करता है जिससे विधेयक अधिनियम बन जाता है। 2. विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है ऐसी स्थिति में विधेयक समाप्त हो जाता है। 3. यदि विधेयक धन विधेयक नहीं है तो विधेयक को सदनों में पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। यदि विधेयक बिना परिवर्तन के फिर से दोनों सदनों द्वारा पारित कर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य है।	विधेयक को विधानमण्डल या सदनों में पारित कर राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है तब राज्यपाल के पास चार विकल्प होते हैं। 1. वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर सकता है, तब विधेयक अधिनियम बन जाता है। 2. वह विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है तब विधेयक समाप्त हो जायेगा और अधिनियम नहीं बन पायेगा। 3. यदि विधेयक धन विधेयक नहीं है तो विधेयक को विधानमण्डल में पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। यदि विधेयक को पुनः दोनों सदनों द्वारा पारित कर राज्यपाल के पास स्वीकृति हेतु भेजा जाए तो राज्यपाल स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। 4. वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है।

अध्यादेश के संबंध में तुलना	
राष्ट्रपति	**राज्यपाल**
1. राष्ट्रपति अध्यादेश को केवल तभी प्राख्यापित कर सकता है जब दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में न हो।	1. राज्यपाल तभी अध्यादेश जारी कर सकता है जब सदन सत्र में न हो।
2. वह किसी अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है जब त्वरित कदम उठाना आवश्यक हो।	2. जब परिस्थितियाँ ऐसी बन गयी हो कि त्वरित कदम उठाना आवश्यक हो।
3. वह उन सभी विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर संसद को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है।	3. उन मुद्दो पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर राज्य विधानमण्डल को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है।
4. राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश उसी तरह प्रभावी है जैसे संसद द्वारा पारित अधिनियम।	4. राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश उसी तरह प्रभावी है जैसे विधानमण्डल द्वारा पारित अधिनियम।
5. वह अध्यादेश किसी समय वापस ले सकता है।	5. अध्यादेश किसी भी समय वापस ले सकता है।
6. अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक नहीं है अर्थात वह अध्यादेश मंत्रिपरिषद् की सलाह पर ही जारी या वापस कर सकता है।	6. राज्यपाल की शक्ति स्वैच्छिक नहीं है।
7. इसकी समयावधि 6 माह है संसद सत्र प्रारम्भ होने के 6 सप्ताह में उसे ससंद से पारित होना चाहिए।	7. इसकी समयावधि 6 माह है। राज्य विधानमण्डल का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह में उसका अनुमोदन होना आवश्यक।
8. अध्यादेश के लिए किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं है।	8. वह निम्न 3 मामलों के बिना राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है– यदि अध्यादेश में ऐसे प्रावधान है कि I. राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुति के पूर्व इसकी राष्ट्रपति से स्वीकृति आवश्यक है। II. यदि उसमें ऐसे प्रावधान है कि यदि वे किसी विधेयक में होते तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ रखना आवश्यक समझता। III. यदि उसमें ऐसे प्रावधान है कि अधिनियम बनने के बाद भी वह राष्ट्रपति के विचार के बिना अवैध हो जाए।

धन विधेयक के संबंध में तुलना	
राष्ट्रपति	**राज्यपाल**
1. वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है तब वह अधिनियम बन जाता है।	1. वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है तब वह अधिनियम बन जाता है।
2. स्वीकृति न दे तब विधेयक समाप्त हो जाता है।	2. स्वीकृति न दे तब विधेयक समाप्त हो जाता है।
3. राष्ट्रपति धन विधेयक को पुर्नविचार के लिए वापस नहीं कर सकता है क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही लोकसभा में पेश किये जाते हैं।	3. राज्यपाल धन विधेयक को पुर्नविचार के लिए वापस नहीं कर सकता है क्योंकि धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही विधानसभा में पेश किए जाते हैं। 4. राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है।

राज्यपाल द्वारा राज्य विधान मण्डल से पारित धन विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखने पर राष्ट्रपति के निम्नलिखित अधिकार हैं-

1. वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है। तब वह अधिनियम बन जाता है।
2. विधेयक पर स्वीकृति रोक दे तो विधेयक समाप्त हो जाता है।

लेकिन राष्ट्रपति धन विधेयक को विधानसभा के पास पुर्नविचार के लिए नहीं भेज सकता है।

क्षमादान के संबंध में तुलना	
राष्ट्रपति	**राज्यपाल**
1. केन्द्रीय विधि के विरूद्ध किए गए अपराध के लिए राष्ट्रपति क्षमा, प्रतिलम्बन, विराम, परिहार या लघुकरण कर सकता है।	1. राज विधि के विरूद्ध किए गए अपराध को राज्यपाल (मृत्यु दण्ड के अतिरिक्त) क्षमा प्रतिलम्बन, विराम, परिहार या लघुकरण कर सकता है तथा मृत्यु दण्ड को स्थगित कर सकता है। लेकिन माफ नहीं कर सकता।
2. राष्ट्रपति (केन्द्रीय विधि या राज्य विधि के तहत्) मृत्यु दण्ड को क्षमा, कम या स्थगित कर सकता है। एकमात्र राष्ट्रपति ही मृत्यु दण्ड की सजा को क्षमा कर सकता है।	2. राज्यपाल मृत्युदण्ड की सजा को माफ नहीं कर सकता है। वह इसे स्थगित कर सकता है।
3. राष्ट्रपति सेना न्यायालय द्वारा दण्डित व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है या माफ कर सकता है।	राज्यपाल को सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दण्ड पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

राज्यपाल की नियुक्ति एवं भूमिका के संबंध में सुझाव

- सक्रिय राजनीतिक भूमिका के चलते पिछले कुछ दशकों में राज्यपाल का पद काफी विवादास्पद हो गया है। 1980 के दशक में यह पद इतना विवादित रहा कि कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों ने इस पद को समाप्त कर देने की मांग की।
- हाल के वर्षों में आम चुनावों में किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की प्रवृत्ति ने राज्यपालों को विवेकाधिकारों के प्रयोग के पर्याप्त अवसर प्रदान किये हैं।
- **राज्यपाल की नियुक्ति एवं भमिका के संबंध में सुझाव –**

राजस्थान के राज्यपाल

- एकीकरण के बाद राजस्थान में राजप्रमुख का सृजन
- 30 मार्च 1949 को जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह को राजप्रमुख पद पर नियुक्त किया गया।
- राजस्थान में राज्यपाल पद का सृजन, 'राजप्रमुख' पद समाप्ति पर 1 नवम्बर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर किया गया और श्री सरदार गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल बनें।

- **राजभवन** : सिविल लाइन, जयपुर, कोठी संख्या 9 और 10, ग्रीष्मकालीन प्रवास माउण्ट आबू, सिरोही
- राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा राज्यपाल निम्नलिखित पदों का प्रमुख होता है–
- अध्यक्ष राज्यसैनिक बोर्ड राजस्थान।
- अध्यक्ष राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों के हितार्थ गठित समेकित निधि प्रबंध समिति।
- अध्यक्ष पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर।
- संरक्षक स्काउट और गाइड, राजस्थान।
- अध्यक्ष, भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, राजस्थान स्टेट ब्रांच।
- राज्यपाल रामनाइक ने राज्य में प्रोटोकॉल की वर्तमान व्यवस्था में संशोधन किया। इस संबंध में राज्यपाल सचिवालय ने 26 अगस्त 2014 को जारी आदेश के अनुसार राज्य समारोहों में परस्पर वार्तालाप और शासकीय टिप्पणीयों में 'हिज एक्सीलेंसी (महामहिम) शब्द का प्रयोग नहीं किया जायेगा। इसके स्थान पर हिन्दी में माननीय राज्यपाल/राज्यपाल महोदय का प्रयोग होगा।' अंग्रेजी में 'Honourable Governor' शब्द का प्रयोग किया जायेगा। साथ ही राज्यपाल के नाम से पूर्व श्री/श्रीमती/सुश्री।

- **महिला राज्यपाल :**

1. **प्रतिभा देवी सिंह पाटिल :** राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल 8 अगस्त 2004 से 23 जून 2007
2. **प्रभाराव :** 3 दिसम्बर 2009 से 26 जनवरी 2010 तक कार्यकाल के दौरान निधन
3. **मारग्रेट अल्वा :** 12 मई 2012 से 5 अगस्त 2014

- **पद के दौरान निधन :**

1. दरबारा सिंह – 23/05/1998
2. निर्मल चंद जैन – 21/09/2003
3. एस.के. सिंह – 12/01/2009
4. प्रभाराव – 26/04/2010

राजस्थान में राष्ट्रपति शासन एवं राज्यपाल

1.	डॉ. सम्पूर्णानंद सिंह, सरदार हुकुम सिंह (CM – मोहन लाल सुखाड़िया)	13 मार्च 1967-26 अप्रैल 1967 चुनावों में अस्पष्ट बहुमत के कारण (44 दिन)
2.	विजयपाल त्यागी, रघुकुल तिलक (CM – हरदेव जोशी)	29 अगस्त 1973 – 22 जून 1977 विधान सभा में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर सकें सरकार बर्खास्त हरिदेव जोशी। (3 वर्ष 10 माह)
3.	रघुकुल तिलक (CM – भैरोसिंह शेखावत)	फरवरी, 1980 – 6 जून 1980, भैरोंसिंह शेखावत अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर सके। (83 दिन)
4.	एम. चेन्ना रेड्डी, बलिराम भगत (CM – भैरोसिंह शेखावत)	15 दिसम्बर, 1992 – 4 दिसम्बर 1993, भैरोंसिंह शेखावत विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाये। (लगभग 1 वर्ष)

- **प्रथम राष्ट्रपति शासन : 13 मार्च, 1967 से 26 अप्रैल, 1967 :**

- चौथी विधानसभा में कांग्रेस को 88, स्वतंत्र पार्टी को 49, भारतीय जनसंघ को 22 और समाजवादी को 8 सीटें प्राप्त हुई।

- परिणामस्वरूप किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। तात्कालिक राज्यपाल **डॉ. सम्पूर्णानन्द** ने कांग्रेस जो कि विधानसभा में सबसे बड़ा दल था, को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। इसके विपरीत अन्य गैर कांग्रेसी दलों ने संयुक्त विधायक दल बनाकर राज्यपाल के समक्ष बहुमत का दावा प्रस्तुत किया। राज्यपाल ने इसको स्वीकार नहीं किया तो विपक्ष ने आंदोलन शुरु कर दिया। सुखाड़िया जी ने इस स्थिति में सरकार बनाने से मना कर दिया। अन्ततः राज्य की अस्थिर राजनीति और अशांत वातावरण को ध्यान में रखकर केन्द्र के निर्देश पर राज्यपाल डॉ. सम्पूर्णानन्द ने 13 मार्च 1967 को राष्ट्रपति शासन लागू करने के साथ ही विधानसभा को निलम्बित कर दिया। यह 26 अप्रैल, 1967 तक रहा।
- राज्य में पहली बार **44 दिन** राष्ट्रपति शासन रहा।

○ **दूसरी बार राष्ट्रपति शासन :** 29 अगस्त, 1973 से 22 जून 1977

□ **राज्यपाल :** विजयपाल त्यागी, रघुकुल तिलक ने केन्द्र के दिशानिर्देश पर 29 अप्रैल 1977 को हरिदेव जोशी सरकार को बर्खास्त कर दिया क्योंकि हरिदेव जोशी विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाये।

○ **तीसरी बार राष्ट्रपति शासन :** जनवरी 1980 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव हुये कांग्रेस(इ) की सरकार बनी केन्द्र के निर्देश पर राज्यपाल रघुकुल तिलक ने 16 फरवरी 1980 को भैरोंसिंह शेखावत सरकार को बर्खास्त कर दिया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।

○ **चौथी बार राष्ट्रपति शासन :** 15 दिसम्बर, 1992 से 4 दिसम्बर, 1993।

राज्यपाल : एम. चन्ना रेड्डी, बलिराम भगत।

मुख्यमंत्री : भैरोंसिंह शेखावत।

- 6 दिसम्बर 1992 को अयोध्या में घटी घटनाओं के पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित पाँच संगठनों की गतिविधियों पर रोक लगाने में राज्य सरकार विफल रही। राज्यपाल की रिपोर्ट पर केन्द्र सरकार के निर्देश से राज्यपाल ने 15 दिसम्बर 1992 को भैंरूसिंह शेखावत सरकार को बर्खास्त कर दिया।
- **अनुच्छेद 365 :** संघ द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालना करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव – यदि राज्य केन्द्र द्वारा दिये गये निर्देशों को पूरा करने में असफल रहता है, तो अनुच्छेद 365 के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।

राजस्थान के राज्यपाल

क्र.सं.	नाम	कार्यकाल	व्यक्तित्व	विशेष टिप्पणी
1.	राजप्रमुख सवाई मानसिंह	30.03.1949 से 31.10.1956 दिन = 2774		राजप्रमुख के रूप में दिवाने आम में शपथ ली। स्पेन में भारत के राजदूत रहे। लंदन में साइरन सेस्टर पोले ग्राउण्ड पर निधन।
2.	सरदार गुरूमुख निहाल सिंह नोट : RPSC द्वारा 25.10. 1956 नियुक्ति तिथि मानी है।	25.10.1956 से 15.04.1962 दिन = 1998		(राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल, सबसे लम्बा कार्यकाल) दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे।
3.	डॉ. सम्पूर्णानंद	16.04.1962 से 15.04.1967 दिन = 1826	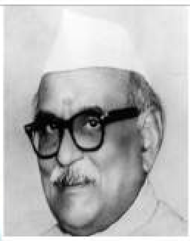	साहित्यकार एवं अध्यापक, उ. प्र. के भू.पू. मुख्यमंत्री।
4.	सरदार हुकुम सिंह	16.04.1967 से 19.11.1970 दिन = 1314		संविधान सभा के सदस्य द्वितीय लोकसभा उपाध्यक्ष (भू.पू.) तृतीय लोकसभा अध्यक्ष (भू.पू.)
5.	न्यायमूर्ति जगत नारायण	20.11.1970 से 23.12.1970 दिन = 34		(कार्यवाहक) प्रथम राजस्थान H.C के C.J राज्य का प्रथम र्कायवाहक राज्यपाल
6.	सरदार हुकुम सिंह	24.12.1970 से 30.06.1972 दिन = 554	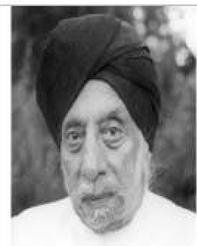	As above यह राजस्थान के दो बार राज्यपाल रहे। संविधान सभा के अंतरिक संसद के सदस्य रहें।

7.	सरदार जोगिंदर सिंह	01.07.1972 से 14.02.1977		प्रथ राज्यपाल/इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया। जन्म रायबरेली उड़ीसा के भू.पू. राज्यपाल राज्यसभा सदस्य
8.	न्यायमूर्ति वेदपाल त्यागी	15.02.1977 से 11.05.1977 दिन = 1735 द्वितीय राष्ट्रपति शासन (1977) के समय राज्यपाल।	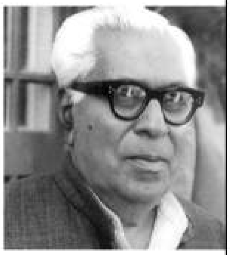	(कार्यवाहक राज्यपाल) राजस्थान H.C के मुख्य न्यायाधीश द्वितीय कार्यवाह राज्यपाल
9.	श्री रघुकुल तिलक	12.05.1977 से 08.08.1981 दिन = 1185 तीसरे राष्ट्रपति शासन (1980) के समय राज्यपाल।		प्रथम राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया। स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य काशी विद्यापीठ के उप-कुलपति
10.	न्यायमूर्ति कल्याण दत्त शर्मा	08.08.1981 से 05.03.1982 दिन = 194		(कार्यवाहक राज्यपाल) राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश
11.	एयर चीफ मार्शल ओ.पी. मेहरा	06.03.1982 से 04.01.1985 दिन = 1035	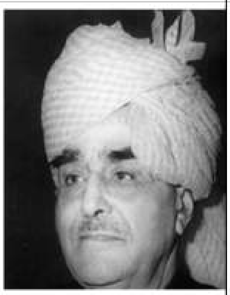	चीफ ऑफ एअर-स्टॉफ

13.	एयर चीफ मार्शल ओ.पी.मेहरा	01.01.1985 से 03.011.1985 दिन = 307	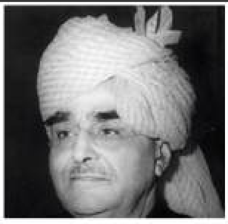	चीफ ऑफ एअर-स्टॉफ
14.	न्यायमूर्ति डी.पी.गुप्ता	04.11.1985 से 19.11.1985 दिन = 16		(कार्यवाहक राज्यपाल) राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
15.	बसंत राव पाटिल	20.11.1985 से 14.10.1987 दिन = 694		महाराष्ट्र के भू.पू. मुख्यमंत्री गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भाग।
16.	न्यायमूर्ति जगदीश शरण वर्मा	03.02.1989 से 19.02.1989 दिन = 17		(कार्यवाहक राज्यपाल) राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
17.	श्री सुखदेव प्रसाद	20.02.1989 से 02.02.1989 दिन = 713		पूर्व एम.एल.ए राज्यसभा सदस्य केन्द्रीय एवं UP सरकार में मंत्री
18.	श्री मिलाप चंद्र जैन	03.02.1990 से 13.02.1990 दिन = 11		(कार्यवाहक राज्यपाल) राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
19.	प्रो. देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	14.02.1990 से 25.08.1991 दिन = 541		कलकत्ता लंदन स्कूल ऑफ एकोनॉमिक्स एण्ड पोलिटिकल साइंस से P.H.D राज्यसभा सदस्य

20.	डॉ. स्वरूपसिंह	26.08.1991 से 04.02.1992 दिन = 163	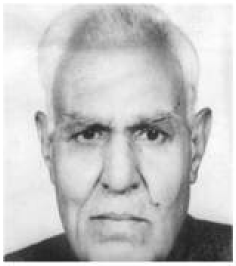	(कार्यवाहक) नोट–यह गुजरात के राज्यपाल थे इन्हें राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।
21.	श्री. डॉ. एम.चेन्ना रेड्डी	05.02.1992 से 30.05.1993 दिन = 481		हैदराबाद से M.L.A M.B.B.S. राज्यमंत्री U.P के गवर्नर आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री पंजाब के गवर्नर
22.	श्री धनिक लाल मण्डल	31.05.1993 से 29.06.1993 दिन = 30		(कार्यवाहक) नोट–यह तत्कालीन हरियाणा के राज्यपाल थे इन्हें राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।
23.	श्री बलिराम भगत	30.06.1993 से 30.04.1998 दिन = 1765		विदेश मंत्री लोकसभा सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष
24.	सरदार दरबारा सिंह	01.05.1998 से 24.05.1998 दिन = 24		नोट–कार्यकाल के दौरान मृत्यु (24.05.1998) हुई। पंजाब के सी.एम. रहे। राज्यसभा सदस्य रहे।

25.	श्री. एन.एल. तिबरे बल	25.05.1998 से 15.01.1999 दिन = 235		(कार्यवाहक) राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
26.	न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह	16.01.1999 से 13.05.2003 दिन = 1578		इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश गुजरात के राज्यपाल
27.	श्री निर्मलचन्द्र जैन	14.05.2003 से 22.09.2003 दिन = 142		नोट-कार्यकाल के दौरान मृत्यु (22.09.2003) हुई। एम.पी. लोकसभा
28.	श्री कैलाश मिश्रा (कार्यवाहक)	22.09.2003 से 13.01.2004 दिन = 114		नोट-यह तत्कालीन गुजरात के राज्यपाल थे इन्हें राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।
29.	मदन लाल खुराना	14.01.2004 से 1.11.2004 दिन = 289	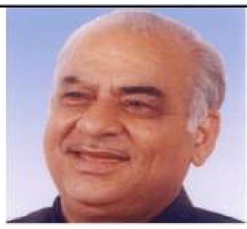	नोट-इन्होनें अपने पद से त्यागपत्र दिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री
30.	टी.वी.राजेश्वर राव (कार्यवाहक)	01.11.2004 से 08.11.2004 दिन = 08		नोट-यह उत्तरप्रदेश के राज्यपाल थे जिन्हें राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिय गया था।

31.	श्रीमती प्रतिभा पाटिल	08.11.2004 से 23.06.2007 दिन = 943		नोट-राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल। नोट-राजस्थान के राज्यपाल के पद से त्यागपत्र देने वाली प्रथम महिला राज्यपाल। राष्ट्रपति।
32.	ए.आर.किदवई (कार्यवाहक)	23.06.2007 से 06.09.2007 दिन = 76		नोट-यह तत्कालीन हरियाणा के राज्यपाल थे जिन्हें राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।
33.	शैलेन्द्र कुमार सिंह	06.09.2007 से 01.12.2009 दिन = 818		(कार्यवाहक) नोट-कार्यकाल के दौरान मृत्यु (01.12. 2009) हुई।
34.	श्रीमती प्रभा राव (कार्यवाहक)	03.012.2009 से 24.01. 2010 दिन = 53		नोट-यह तत्कालीन हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल थी इन्हें राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।
35.	श्रीमती प्रभा राव	25.01.2010 से 26.04.2010 दिन = 92		नोट-पद पर रहते हुए निधन हुआ। (26.04. 2010)

प्रज्ञान

36.	शिवराज पाटिल	28.04.2010 से 12.05.2012 दिन = 15	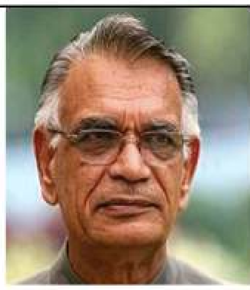	(कार्यवाहक) यह तत्कालीन पंजाब राज्य के राज्यपाल थे। इन्हें राजस्थान राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं।
37.	श्रीमती मार्गरेट अल्वा	12.05.2012 से 07.08.2014 दिन = 818		लोकसभा सदस्य रही है। उत्तराखण्ड की राज्यपाल
38.	श्रीराम नाइक (कार्यवाहक)	08.08.2014 से 03.09.2014 दिन = 27		यह तत्कालीन उत्तरप्रदेश राज्य के राज्यपाल थे जिन्हें राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।
39.	श्री कल्याण सिंह	04.09.2014 से 02.09.2019 दिन = 1825		कल्याण सिंह जब राजस्थान के राज्यपाल थे तब इन्हें 28.01. 2015 से 12.08.2015 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। उ.प्र. के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं।
40	श्री कलराज मिश्र	30.07.2019 से 30.07.2024		लोकसभा सदस्य राज्यसभा सदस्य राज्यमंत्री केन्द्रीय मंत्री
41.	श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े	31.07.2024 से अब तक		

राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद

- अनु. 153 – राज्यों के राज्यपाल ।
- अनु. 154 – राज्य की कार्यपालिका शक्ति।
- अनु. 155 – राज्यपाल की नियुक्ति।
- अनु. 156 – राज्यपाल की पदावधि या कार्यकाल।
- अनु. 157 – राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए अर्हताएँ।
- अनु. 158 – राज्यपाल कार्यालय के लिए दशाएँ/राज्यपाल पद की शर्तें।
- अनु. 159 – राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।
- अनु. 160 – कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन।
- अनु. 161 – क्षमादान आदि और कुछ मामलों में दण्डादेश के निलम्बन, पारेहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति।
- अनु. 162 – राज्य की कार्यपालिका शक्ति विस्तार।
- अनु. 163 – मंत्रिपरिषद् का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना।
- अनु. 164 – मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, जैसे-नियुक्ति, कार्यकाल व वेतन आदि।
- अनु. 165 – राज्य का महाधिवक्ता ।
- अनु. 166 – राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही।
- अनु. 167 – राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का दायित्व।
- अनु. 174 – राज्य विधायिका का सत्र, सत्रावसान तथा उसका भंग होना।
- अनु. 175 – राज्यपाल का राज्य विधायिका के सभी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा संदेश देने का अधिकार।
- अनु. 176 – राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन।

- ☞ अनु. 200 - विधेयक पर निर्णय (राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय।
- ☞ अनु. 201 - राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना।
- ☞ अनु. 213 - राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
- ☞ अनु. 217 - राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना।
- ☞ अनु. 233 - राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति।
- ☞ अनु. 234 - राज्यपाल द्वारा न्यायिक संवा के लिए नियुक्ति (जिला न्यायाधीशों के अलावा।)

❑❑❑